न्यायालय उपखण्ड अधिकारी...पीपलखूंट...

मन्नालाल/अर्जुनलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वाद धारा 188 RTA 37/2017
22.2.21	पत्रा. पेश। अधिवक्ता अप्रार्थीगण उप.। प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर जवाब दिनांक 18.12.17 को पेश किया। पत्रा. मैं अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी। बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड/दस्तावेजात का अवलोकन किया। विवादग्रस्त आराजी में वादीगण खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं अतः वादीगण का वाद पत्र धारा 188 RTA स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में पृथक से निर्णय/आदेश लिखकर जारी किया गया। पत्रा. फैसल शुमार होकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी पीपलखूंट (राज.)

न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, पीपलखूंट जिला—प्रतापगढ़ (राज.)

बजरिये श्री दिनेश चन्द धाकड़ आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 52 / 2017

उनवान

1. मन्नालाल पिता नरू, जाति भील निवासी पंथोल तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ
2. शंभूलाल पिता नरू, जाति भील निवासी पंथोल तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ
3. अलकु बैवा नरू, जाति भील निवासी पंथोल तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ
4. तोलिया पिता हेमता, जाति भील निवासी पंथोल तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ
5. वेस्ती बैवा हेमता, जाति भील निवासी पंथोल तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ
6. नागजी पिता उंकार, जाति भील निवासी पंथोल तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ

—वादीगण

बनाम

1. अर्जुनलाल पिता भेमा, जाति भील निवासी पंथोल तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ
2. भेरीया पिता अर्जुन, जाति भील निवासी पंथोल तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ
3. गणेश पिता अर्जुन, जाति भील निवासी पंथोल तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ
4. नगजी पिता भेमा, जाति भील निवासी पंथोल तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ
5. सोहन पिता नारीया, जाति भील निवासी पंथोल तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ
6. सनिया पिता भेमा, जाति भील निवासी पंथोल तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ
7. श्रीमान तहसीलदार पीपलखूँट, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 209 आर. टी. एक्ट.

निर्णय

दिनांकः—22.02.2021

उपस्थितिः 1. श्री नरेन्द्र सिंह चौहान —वादी अधिवक्ता
2. श्री सीताराम भगोरा —प्रतिवादी अधिवक्ता

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगणों के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेदारी मौजा ग्राम पंथोल पटवार हल्का छरी, तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ में स्थित हैं जिसका खाता संख्या 49 नया, 52 पुराना खसरा नम्बर 219, 490, 491, 492, 493, 494, 601, 602, 603, 606, 702 रकबा क्रमशः 0.86, 0.16, 0.11, 0.25, 0.40, 0.66, 0.90, 0.09, 0.15, 1.37, 0.61 हैक्टेयर कुल किता—11 रकबा 5.56 हैक्टेयर हैं। वादीगण का बाप दादाओं के समय से उक्त भूमि पर कब्जा बना हुआ हैं तथा समय समय पर राज्य सरकार में लगान जमा करवाते हैं तथा खेती करते आ रहे हैं। खसरा नम्बर 491 रकबा 0.11 हैक्टेयर वादीगणों की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण जबरन वादीगणों के खातेदारी की भूमि में मजामहत व मदखलत

उपखण्ड अधिकारी
पीपलखूँट (राज.)

यह की वादीगणों के ...

Scanned with OKEN Scanner

कर रहे है तथा वादीगणों के निरन्तर काबिज काश्त भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू है। दिनांक 12.07.2017 की दोपहर में उक्त सभी प्रतिवादीगण ट्रेक्टर लेकर आये तथा हम वादीगणों के संयुक्त खातेदारी की भूमि आराजी नं. 491 में अनाधिकृत रूप से प्रवेश हो गयें तथा ट्रेक्टर चला कर खेत को हाक दिया, मौके पर वादी नं. 01 मन्नालाल पिता नरू को प्रतिवादीगणों द्वारा डराया धमकाया और इस जमीन पर खेती करने पर हाथ पैर तोड़ देने की धमकी दी। उक्त भूमि पर वादीगण लगभग 50 वर्षो से काबिज होकर काश्त करता आ रहे हैं तथा उक्त आराजी भूमि वादीगणों के तन्हा खातेदारी में दर्ज हैं। अतः प्रतिवादीगणों को उक्त आराजी नम्बर में कब्जा करने से रोका जाकर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें एवं मुकदमा खर्च प्रतिवादीगणों से दिलवाया जावें।

वादपत्र जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण कों जरिये समन तलब किया गया। तलब किए जाने पर प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम भगोरा द्वारा वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर देने के बाद दिनांक 18.12.2017 को पत्रावली में जवाब बंद किया गया।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। विवादग्रस्त आराजी में वादीगण खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–::आदेश::–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम पंथोल पटवार हल्का छरी, तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ खाता संख्या 49 नया, 52 पुराना खसरा नम्बर 219, 490, 491, 492, 493, 494, 601, 602, 603, 606, 702 रकबा क्रमशः 0.86, 0.16, 0.11, 0. 25, 0.40, 0.66, 0.90, 0.09, 0.15, 1.37, 0.61 हैक्टेयर कुल किता–11 रकबा 5.56 हैक्टेयर भूमि के लिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वह वादी की उक्त आराजी में जबरन कब्जा न करें। डिक्री पर्चा कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश चन्द्र धाकड़ RAS)
उपखण्ड अधिकारी पीपलखूंट
जिला प्रतापगढ़

उपखण्ड अधिकारी
पीपलखूंट (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, पीपलखूंट जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

बजरिये श्री दिनेश चन्द धाकड़ आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 37/2017

उनवान

मन्नालाल पिता नरू, जाति भील निवासी पंथोल तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ
शंभूलाल पिता नरू, जाति भील निवासी पंथोल तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ
अलकु बैवा नरू, जाति भील निवासी पंथोल तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ
तोलिया पिता हेमता, जाति भील निवासी पंथोल तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ
वेस्ती बैवा हेमता, जाति भील निवासी पंथोल तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ
नागजी पिता उंकार, जाति भील निवासी पंथोल तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ

–वादीगण

बनाम

अर्जुनलाल पिता भेमा, जाति भील निवासी पंथोल तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ
भेरीया पिता अर्जुन, जाति भील निवासी पंथोल तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ
गणेश पिता अर्जुन, जाति भील निवासी पंथोल तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ
नगजी पिता भेमा, जाति भील निवासी पंथोल तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ
सोहन पिता नारीया, जाति भील निवासी पंथोल तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ
सनिया पिता भेमा, जाति भील निवासी पंथोल तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ
श्रीमान तहसीलदार पीपलखूँट, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

–प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट के लिए दावा वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र
ह चौहान एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री सीताराम भगोरा की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 22.
2021 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं कि:–

दावा वादी न्यायालय में स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम पंथोल पटवार हल्का छरी, तहसील पीपलखूंट
ला प्रतापगढ़ खाता संख्या 49 नया, 52 पुराना खसरा नम्बर 219, 490, 491, 492, 493, 494, 601, 602
3, 606, 702 रकबा क्रमशः 0.86, 0.16, 0.11, 0.25, 0.40, 0.66, 0.90, 0.09, 0.15, 1.37, 0.61 हैक्टेय
न किता–11 रकबा 5.56 हैक्टेयर भूमि के लिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किर
ता हैं कि वह वादी की उक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार का निर्माण कार्य इत्या
खुर्द बुर्द दखल अन्दाजी नही करे न अन्य से करावें।

इसके वाद के खर्चे लेखे–xxx-रूपये की राशि आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर–xx
तिवर्ष की दर से ब्याज सहित–xxx- द्वारा को दी जावें।

यह डिक्री आज दिनांक 22.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

वाद के खर्चे

उपखण्ड अधिकारी
पीपलखूँट (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प	01	—	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	—
शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	—	अर्जी के लिए स्टाम्प	—	—
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	01	—	प्लीडर की फीस	—	—
रूपये पर लीडर की फीस	—	—	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—
साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—	आदेशिका की तामील	—	—
कमिश्नर की फीस (तलवाना)	02	—	कमिश्नर की फीस	—	—
आदेशिका की तामील	—	—		—	—
योग	05	—	योग	01	—

उपखण्ड अधिकारी
पीपलखूँट (राज.)

Scanned with OKEN Scanner